भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 667

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलियों द्वारा जबरन वसूली

†667. श्री प्रभात झा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलियों द्वारा उद्योगपतियों व व्यापारियों से जबरन वसूली के मामले सरकार के समक्ष आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क) और (ख): वामपंथी उग्रवादी समूहों, विशेषकर सीपीआई (माओवादी) द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगपतियों, व्यवसायियों, ठेकेदारों विशेषरूप से तेन्दू पत्ता ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, सरकारी कर्मचारियों एवं विभिन्न अवैध ख नन माफिया समूहों से जबरन "उगाही" करने की सूचनाएं हैं। यद्यपि इसकी यथार्थ मात्रा बता पाना संभव नहीं है, तथापि, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि ये सीपीआई (माओवादी) संगठन विभिन्न स्रोतों से वार्षिक तौर पर 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र कर रहे हैं।

(ग) से (घ): वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उगाही करने एवं निधियां एकत्र करने से संबंधित अपराध को राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत किया जाता है, उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और उन पर अभियोजन चलाया जाता है। जब कभी भी ऐसी उगाही की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिक कार्रवाई शुरु की जाती है। इन मामलों के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तेन्दू पत्ता संग्रह से नक्सलियों को मिलने वाली निधियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को नीतियों में कतिपय बदलाव लाने की सलाह दी गई है।

*****